कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

Tele- [illegible]
Fax- [illegible]
E-mail Id- [illegible]

पत्रांक 426/ दि0 26/04/2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि संरक्षण, वन प्रभाग
लैन्सडौन

विषय :– प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में किमी0 57.00 के टी02 (ओ0डी0आर0) से मंजोखी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.659 है0 सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

संदर्भ:– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/87/2016/एस0सी0/1961 दिनॉक 17.12.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत किमी0 57.00 के टी02 (ओ0डी0आर0) से मंजोखी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.659 है0 सिविल वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृत में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन बिन्दुवार निम्न प्रकार है।

क्रम सं0	अधिरोपित शर्त	अनुपालन
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 11.318 है0 ग्राम – मंजोखी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरो को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत प्रदान की जायेगी।	दिनॉक 02.04.2019 को जमा करवा दी गयी है। तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जा चुका है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007– एफ0सी0 दिनॉक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	दिनॉक 02.04.2019 को जमा करवा दी गयी है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	मान्य है। प्रपत्र संलग्न
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc) को वैब पोर्टल पर **Online Generate** किये गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	ऑन लाईन चालान जनरेट कर खाते में जमा करवा दिया गया है। परिवेश बेबसाईट से प्राप्त भुगतान विवरण की प्रति संलग्न।
5	सडक निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहॉ–जहॉ सम्भव हो सडक के दोनो किनारो तथा **Central Verge** पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में **strip plantation** की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	मान्य है। अनुपालन किया जायेगा।
6	The State Govt. will submit plantation scheme as per Ministry guideline dated 08-11-2017 in lieu of 7 ha area of proposed CA land Falling under VDF and MDF.	मान्य है। अनुपालन किया जायेगा।
7	The state Govt. will change the Eco class at Para 4(i), Part-II and revised NPV Calculation sheet accordingly. State Govt. may submit the original hard copy of CA scheme for village Manjokhi as mentioned in online and also upload the same at para 13 online Part I.	मान्य है।
	विधिवत स्वीकृति हेतु अन्य आवश्यक शर्तो का अनुपालन	
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	मान्य है।
2	एन0पी0बी0 की दरों में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन0पी0बी0 देने के लिए बाध्य होगा।	मान्य है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण हेतु चयनित 11.318 है0 ग्राम– मंजोखी सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत	मान्य है।

	आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	मान्य है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।	मान्य है।
6	निर्माण के पश्चात् जहाँ–जहाँ सभंव हो सडक के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जायेगी।	मान्य है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।	मान्य है।
8	परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव – जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।	मान्य है।
9	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नही किया जायेगा।	मान्य है।
10	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 358 से अधिक न हो।	मान्य है।
11	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	मान्य है।
12	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। यदि विधिवत स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोजनक अनुपालन नही किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।	मान्य है।

अतः आपके संज्ञान में लाना है कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु आवश्यक सैदान्तिक स्वीकृति में अधोरोपित सभी शर्तों का अनुपालन विभाग द्वारा किया जा चुका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से उच्चाधिकारियों को सूचित करने का कष्ट करे एवं मोटर मार्ग पर स्थित पेडो के छपान एवं कटान की कार्यवाही अपने स्तर से करवाने का कष्ट करे। जिससे मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ कराया जा सके।

संलग्नः– 1. भुगतान की प्रति
2. उपरोक्तानुसार प्रपत्र।

(राजेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक 426 / वनभूमि दि0.....

निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–
1.– अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वन संरक्षक शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी पौडी गढवाल।
4. सहायक अभियन्ता – प्रथम सिंचाई खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0 कोटद्वार सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

NoN ZA खतौनी उद्धरण

~~पट्टी~~ ग्राम - मंजोखी पट्टी - किचलाडांग -I रा.नि.क्षे - सिलोगी तह - लैंसडौन गढ़वाल

श्रेणी 9(ख)(2)

1	2	3	4	5	6	7	~~अंक~~ 21 तक
	15	झाड़ी		157	306।।। / 6.153	प्रमाणिकृत	तहसीलदार लैंसडौन के आदेश दि० 26-3-18 एवं कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल आदेश सं० -1190/26-प्रशा० अधि० (सा०प्रशा०)/2018 दिनांक पौड़ी मार्च 21, 2018, आदेश - जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कि०मी० 5700 के लि० 2 (जो०डि०मार०) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु ~~ग्राम मंजोखी~~ उपजिलाधिकारी लैंसडौन की आख्या एवं शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम - मंजोखी पट्टी कि० डांग I तहसील लैंसडौन की तौन जेड. ए. खतौनी खाता सं० -15 के खसरा न० 157 रकबा 6.153 है० मध्ये 5.983 है० खसरा न० 3317 रकबा ~~2.891~~ 1.920 है० खसरा न० 3337 रकबा 2.891 है० एवं खसरा न० 3352 रकबा 0.524 है० कुल रकबा 11.318 है० श्रेणी 9(ख)(2) में उत्तराखण्ड सरकार के नाम झाड़ी दर्ज है, भूमि को क्षति पूरक ~~वृ~~ वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है हस्ताक्षर सुशील कुमार जिलाधिकारी गढ़वाल,
		झाड़ी		3317	८४।।। / 1.920	वनरगड़	
		झाड़ी		3337	944= / 2.891	वनरगड़	
		झाड़ी		3352	26= / 0.524	वनरगड़	
				364	1८९३२।।=		

नकल असल से की गयी है

पुष्कर सिंह
राजस्व उपनिरीक्षक
पट्टी कि० डांग-I
तहसील लैंसडौन
जिला पौड़ी
3/5/19

डायरी नं0 257
पत्रांक.....
दिनांक 2/4/18

केवल **E-Mail/Fax** द्वारा

।। कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल ।।

E-Mail ID:dmgarhwal@gmail.com /PHONE- 01368-222250/Fax: 222080

संख्याः 1190 /26–प्रशा0अधि0(सा0प्रशा0)/2018, दिनांक पौडी मार्च-21, ,2018

आदेश

उपजिलाधिकारी लैन्सडौन ने अपने पत्र दिनांक 31.01.2018 के द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कि0मी0 57.00 के टी0 2 (जो0डी0आर0) से मंजखोली मोटर मार्ग (7.600 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु ग्राम मंजोखी पट्टी बिचला ढांगू तहसील लैन्सडौन की नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता सं0 15 के खसरा नं0 157 रक्वा 6.153 है0 मध्ये 5.983 है0, खसरा नं0 3317 रक्वा 1.920 है0, खसरा नं0 3337 रक्वा 2.891 है0 एवं खसरा नं0 0.524 है0 कुल रक्वा 11.318 है0 भूमि,श्रेणी 9 (ख)(2) में उत्तराखण्ड सरकार के नाम झाड़ी दर्ज भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कर प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित भूमि में कोई ऐतिहासिक स्थल, मन्दिर, मस्जिद, कब्रस्तान, शमशानघाट, चारागाह, पनघट आदि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

2. शासनादेश संख्याः 2173/XVII (2)/2012–18 (120)2010 दिनांक 17.12.2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजना के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 20,000 है0 सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकारी जिलाधिकारी को प्रतिनिधायित किया गया है।

अत जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कि0मी0 57.00 के टी0 2 (जो0डी0आर0) से मंजखोली मोटर मार्ग (7.600 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु उपजिलाधिकारी लैन्सडौन की आख्या एवं शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम मंजोखी पट्टी बिचला ढांगू तहसील लैन्सडौन की नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता सं0 15 के खसरा नं0 157 रक्वा 6.153 है0 मध्ये 5.983 है0, खसरा नं0 3317 रक्वा 1.920 है0, खसरा नं0 3337 रक्वा 2.891 है0 एवं खसरा नं0 0.524 है0 कुल रक्वा 11.318 है0 भूमि,श्रेणी 9 (ख)(2) में उत्तराखण्ड सरकार के नाम झाड़ी दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपजिलाधिकारी/तहसीलदार लैन्सडौन तद्नुसार अभिलेखों में अमलदरामद की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी,गढ़वाल।

प्रतिलिपिः **निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु–**

1– सचिव,राजस्व विभाग,उत्तराखण्ड शासन,देहरादून।
2– आयुक्त,गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– नोडल अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी,गढ़वाल वन प्रभाग,पौड़ी।
4– अधिशासी अभियन्ता,पी0एम0जी0एस0वाई0सिंचाई खण्ड,कोटद्वार ।
5– उपजिलाधिकारी/तहसीलदार,लैन्सडौन।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी,गढ़वाल।

प्रेषक,

तहसीलदार
लैन्सडौन।

सेवामें,

जिलाधिकारी
गढवाल।

द्वारा — उप जिलाधिकारी लैन्सडौन।

संख्या — 102 /र०का० (2017—18) दिनांक लैन्सडौन जनवरी 31, 2018।

विषय — जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कि०मी० 57.00 के टी० 2 (जो०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग(7.600 कि०मी०) के नव निर्माण के लिये क्षतिपूरण वृक्षारोपण हेतु भूमि प्रस्ताव प्रेषण के सम्बन्ध में।

—0—

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०—सिंचाई खण्ड कोटद्वार (गढवाल) का पत्रांक 32 पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख०/वनभूमि दिनांक 8.01.2018 जो कि जिलाधिकारी महोदय गढवाल को सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कि०मी० 57.00 के टी० 2 (जो०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग(7.600 कि०मी०) के नव निर्माण के लिये क्षतिपूरण वृक्षारोपण हेतु राजस्व उप निरीक्षक विचला ढांगू—1 के द्वारा जांच कराई गई है। क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक ने उक्त प्रयोजना हेतु निम्न प्रकार भूमि चयन कर प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

राजस्व उप निरीक्षक बिचला ढांगू—1 ने अपनी आख्या से अवगत कराया है कि उक्त प्रयोजना हेतु पर्वू में ग्राम मंजोखी पटटी बिचला ढांगू के नॉन जेड०ए० खतौनी खाता स० 15 मध्ये 9.800 हे० भूमि का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था किन्तु संबंधित विभाग के द्वारा वर्तमान में 9.800 हे० सिविल भूमि के बजाय क्षतिपूरण वृक्षारोपण हेतु 5.659 हे० भूमि के सापेक्ष दुगने 11.318 हे० सिविल भूमि की मांग की गई है।

अवगत कराना है कि राजस्व उप निरीक्षक विचला ढांगू—1 द्वारा वर्णित प्रयोजना के निर्माण हेतु ग्राम मंजोखी पटटी बिचला ढांगू—1 नॉन जेड०ए० खतौनी खाता स० 15 के खसरा न० 157 रक्वा 6.153 हे० मध्ये 5.983 हे०, ख०न० 3317 रक्वा 1.920 हे०, ख०न० 3337 रक्वा 2.891 हे० एवं ख० न० 0.524 हे० कुल रक्वा 11.318 हे० भूमि का चयन कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जो कि नॉन जेड०ए० खतौनी के श्रेणी 9(ख)(2) में उत्तराखण्ड सरकार के नाम झाडी दर्ज अभिलेख है।

क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक ने अपनी आख्या से यह भी अवगत कराया है कि प्रस्तावित भूमि में कोई ऐतिहासिक स्थल, मन्दिर, मस्जिद, कब्रस्तान, शमशानघाट, चारागाह, पनघट, आदि सार्वजनिक उपयोग की नही है। क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा प्रस्तावित भूमि का नक्शा, खसरा एवं नकल नॉन जेड०ए० खतौनी प्रस्तुत की गई है, जो कि सलग्न है।

अतः आख्या सेवामें प्रेषित है।

सलग्न — यथोपरि।

भवदीय

(राजेन्द्र प्रसाद रतूडी)
प्र०तहसीलदार लैन्सडौन।

जिलाधिकारी महोदय गढवाल को संस्तुति सहित अग्रसारित।

31/01/18

उप जिलाधिकारी
लैन्सडौन।

01

State: [Uttarakhand]
Role : [Applicant]

forestsclearance.nic.in/UserAccount/Payment_history.aspx

PARIVESH
परिवेश

"Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Singlewindow Hub"

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India

My Account ▾ My Proposals Environment Clearance ▾ My Proposals Forest Clearance ▾ My Proposals Wildlife Clearance ▾ Help ▾

1:43:00 PM

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno. Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
FP/UK/ROAD/11141/2015 T02 (DOR) to Manjodi Hil	ROAD111412015508	8111141508	17 Dec 2018	CA: 3153930/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 4781855/- No : 0/- No : 0/- No : 0/- Total : 7935785/- Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- No : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :15 Mar 2019 Bank Name :Corporation Bank Mode of Payment :NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :01 Apr 2019 Transaction Date :02 Apr 2019	Demand Letter Generated Challan
FP/UK/ROAD/11196/2015 Construction of Tolbar Mohragaon walla Motor Road	ROAD111962015205	111119062015205	24 May 2016	CA: 1964015/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 4003896/- NA : 0/- NA : 0/- NA : 0/- Total : 5967911/- Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- NA : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :26 Aug 2016 Bank Name :Corporation Bank Mode of Payment :NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :31 Aug 2016 Transaction Date :26 Dec 2016	Demand Letter Generated Challan
FP/UK/ROAD/11002/2015 Under PMGSY Ringalpani Greel Garkot Motor Road	ROAD110022015758	113110022015758	02 Feb 2016	CA: 0/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 807355/- NO : 0/- NO : 0/- Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- PLANTATION AND 10 YEAR MAINTENANCE : 1012000/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :18 Mar 2016 Bank Name :Corporation Bank Mode of Payment :NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :18 Mar 2016 Transaction Date :17 Mar 2016	Demand Letter Generated Challan

Type here to search

1:43 PM
24-Apr-19

GST
Off
Ref.

2.41 (12)

प्रपत्र–52

परियोजना का नाम	:-	जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित कि०मी० 57 के टी02 (ओ0डी0आर0) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क्र०	कार्य का नाम	इकाई/संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रू० में)	धनराशि (रू० में)
			ल०	चौ०	ऊंचाई				
1	आर०सी०सी० पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खोदना	6.00	0.900	0.900	0.100	0.486	Cum.	221.50	107.65
2	आर०सी०सी० पिलर के बेस पर चूना व कोयला डालना	6.00	0.900	0.900	0.030	0.146	Cum.	352.30	51.37
3	1:2:4 सीमेन्ट मसाले में आर०सी०सी० पिलर निर्माण	6.00	0.900	0.900	0.900	4.374	Cum.	7032.60	30760.59
4	आर०सी०सी० कार्य हेतु सरिया क्रय करना	Reinforcement of R.C.C. Pillars (1.50%)				5.150	Qtl.	5596.97	28826.55
	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य	6x4	0.900		0.800	17.280	Sqm	159.80	2761.34
		6x1	0.900	0.900		4.860	Sqm.	159.80	776.63
7	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना	6.00	5.00 Cm.			30.00	Cm.	0.50	15.00
8	पानी की ढुलाई आदि	6.00					Qtl.	57.25	343.50
	कुल योग								63642.63

वन क्षेत्राधिकारी
दुगड्डा रेंज

2.37

प्रपत्र–51

परियोजना का नाम	:–	जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित कि0मी0 57 के टी02 (ओ0डी0आर0) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में एन0पी0वी0 की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढ़वाल

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढ़वाल

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढ़वाल

प्रपत्र 34 2.31

परियोजना का नाम	:-	जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कि0मी0 57 के टी02 (ओ0डी0आर0) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि विशयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों / ुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढ़वाल

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढ़वाल

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढ़वाल

प्रपत्र–50 2.36 (166)

[परि]योजना का नाम – जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित कि0मी0 57 के टी02 (ओ0डी0आर0) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश आदेश संख्या [..]/2007– एफ0सी0 दिनॉक 05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 [की] देयता नियता निम्नानुसार है:–

1. ईको– क्लास श्रेणी ....V........
2. हरियाली का घनत्व – 40 प्रतिशत से ऊपर
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 रूपये – ~~3.5~~ लाख रूपये 9.39 Lakh/ha.
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल – 5.659 है0
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि – 5313801.00 लाख रुपये मात्र

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
[..]

प्रभागीय वनाधिकारी
[..]

प्रपत्र–36 2 30

मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण–पत्र

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि
बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित् नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं
करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य
वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने
पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके याचक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे
आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाये। केवल
अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के
स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा
उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमियों का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को
हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये, वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की
आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का
भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा
तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0
दिनाँक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर
बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण–पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग
को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उत्तराखण्ड वन निगम अथवा और कोई उपर्युक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित
समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पातन
आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा
समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परियोजना
व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाये का भुगतान याचक विभाग, वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक
ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बाँज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन
संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा करके इसे
सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण
करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटि्टयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा
जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरोलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्टि प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई
जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा उनका समुचित स्तर से
आश्वासन प्राप्त हो जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।

कनिष्ठ अभियन्ता सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल	सहायक अभियन्ता सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल

प्रपत्र–35 2.29

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land to be followed as far as possible.

(ii) Heavy cutting/filljng be avoided as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted steep hill slope as also to be avoided

(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical Engineers and Geologists to be taken during the survey for alignment.

(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground Engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads. Broadly the measures to be taken have been identified as :-

1. Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided. Box cutting is to be avoided to the extent possible.
2. Blasting by explosives is to be restricted to the minimum Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for aniline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process
3. All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made

(v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are provided for purposes of establishing the slips. Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants

In certain selected unstable areas terraced has also been plasticized as a stabilizing measure with god results

(vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guide lines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियों का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई०, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल	सहायक अभियन्ता सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई०, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई०, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल

प्रपत्र–24

परियोजना का नाम – जनपद पौड़ी गढवाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित कि0मी0 57 के टी02 (ओ0डी0आर0) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम **468** है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम **468** वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार
पौड़ी गढ़वाल

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढ़वाल

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढ़वाल

वन क्षेत्राधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रपत्र–38

परियोजना का नाम	:–	जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित कि0मी0 57 के टी02 (ओ0डी0आर0) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/ रख–रखाव के दौरान वन्य जीवों/ स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

कनिष्ट अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार,
पौड़ी गढवाल

2.34

प्रपत्र–39

(54)

परियोजना का नाम	–	जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किoमीo 57 के टी02 (ओoडीoआरo) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 किoमीo) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी तेल/रसौई गैस उपलब्ध कराये जाने प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसौई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

कनिष्ट अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,
पीoएमoजीoएसoवाईo, कोटद्वार,
पौड़ी गढ़वाल

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,
पीoएमoजीoएसoवाईo, कोटद्वार,
पौड़ी गढ़वाल

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,
पीoएमoजीoएसoवाईo, कोटद्वार,
पौड़ी गढ़वाल

प्रपत्र–49 2.19 (II)

...जना का नाम	:–	जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित कि0मी0 57 के टी02 (ओ0डी0आर0) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तारण प्रस्ताव।

मक डम्पिंक प्लान प्रमाण–पत्र

प्रस्तुत प्राक्कलन पयया नैगांव कांडा से मंजोखी मोटर मार्ग के निर्माण के समय उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु गठित किया गया है। उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु स्थल चयन हेतु दिनॉक 19 एवं 20/9/2014 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मोटर मार्ग के सिविल सोयम भूमि में कुल 10 स्थलों का चयन किया गया है। उक्त स्थल मार्ग के किनारे स्थित है। मलवा निस्तारण हेतु खड् साइड् में मार्ग के समान्तर वायर क्रेट लगाये जाने का प्रावधान है। कृषकों द्वारा अपनी भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु अनापत्ति भी प्रदान की गयी है। सिविल सोयम भूमि को प्रस्ताव में (लैन्ड शेड्यूल प्रपत्र 15.3) पर गठित किया गया है

अतः उक्तानुसार उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु रू.0 63.53 लाख का प्राक्कलन गठित किया गया है। उक्त प्राक्कलन के अनुसार ही मार्ग निर्माण के समय उक्त कार्य भी कराये जायेगें। मलवा कही भी वृक्ष आच्छादित एवं जल स्रोतों में नहीं डाला जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल	सहायक अभियन्ता सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल

वन क्षेत्राधिकारी	...)	प्रभागीय वनाधिकारी